



फर्द अहकाम

रामधन बनाम श्रीमती अश्विनी

नाम न्यायालय 520 शाहपुरा

केस संख्या 114/2023

30/4/26

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	30/4/26	<p>पञ्चवली पैसा डुब्डी वहील उक्तपस उपण वास्ते बहस जाणपस र. हेतु पञ्चवली दिनांक 13/5/26 को पैसा ही</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज. </p>	
	13/5/26	<p>पञ्चवली पैसा डुब्डी वहील उक्तपस उपलिय वहील उक्तपस की जाणपस अस्थानी निषेधाज्ञा पर बहस ही गयी वहील उक्तपस की बहस सुनी गयी। वहील उक्तपस की बहस पर भान डिया गया। पञ्चवली को अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त मूल वाड के निष्कारण लड जाणपस अस्थानी निषेधाज्ञा को स्थानी डिया जाना डियत समझते है।</p> <p> उतः इस आशालय के आदेश दिनांक 20/12/2023 के द्वारा जारी अस्थानी निषेधाज्ञा को मूल वाड के निष्कारण लड स्थानी डिया जाकर दोनो पसो को पाबन्द डिया जाला है। पञ्चवली फूसल सुकार लेकर जाकर से कम लेकर मूल वाड के डमडिला रहे। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज. </p>	